न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 22/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 कमलादेवी पत्नि गणेशरामजी जाति कुम्हार निवासी बरलुट		1 कुपाराम पुत्र सुराजी जाति कलबी, निवासी बरलुट
2 भरतकुमार पुत्र गणेशराम, जाति कुम्हार, निवासी बरलुट		2 कुपाराम पुत्र वनाजी जाति कुम्हार निवासी बरलुट तहसील सिरोही
3 भावनाकुमारी पुत्री गणेशरामजी जाति कुम्हार, निवासी बरलुट, तहसील सिरोही		3 प्रकाश कुमार पुत्र गणेशराम जी, जाति कुम्हार, निवासी बरलुट
		4 जितेन्द्र कुमार पुत्र गणेशरामजी, जाति कुम्हार, निवासी बरलुट
		5 मनीष कुमार पुत्र गणेशराम, जाति कुम्हार निवासी बरलुट
		6 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सिरोही, तहसील व जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री ऋषि माथुर, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

श्री सूर्यवीर आढा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 5 की ओर से

राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट संख्या 06 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12/12/2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर सिरोही द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 152/2017 बउनवान कूपाराम बनाम कूपाराम में पारित आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

दिनांक 19.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा बरलुट तहसील सिरोही के खसरा नम्बर 489 रकबा 02.20 हैक्टेयर में आने जाने हेतु अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 05 के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 490 में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु उत्तर दिशा की तरफ से रास्ता मौजुद है, जहां से रेस्पोडेण्ट संख्या 01 अपने खातेदारी की भूमि में आता जाता है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर निर्णय पारित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का कोई अवलोकन नहीं किया गया।

उक्त प्रकरण में न्याय आपके द्वारा अभियान, 2018 के नोटिस प्राप्त होने पर अपीलाण्टगण कैम्प में हाजीर हुए थे, लेकिन उस समय कोई बहस नहीं हुई थी, पक्षकारान् के मध्य राजीनामा नहीं होने से अपीलाण्ट को वापस भेज दिया गया, लेकिन अपीलाण्ट के जाने के बाद उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। कैम्प के दौरान अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में एक तरफा निर्णय मेरिट पर पारित नहीं किया जा सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के आधार निर्णय पारित किया है। उक्त मौका रिपोर्ट अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है। उपखण्ड अधिकारी स्वयं द्वारा मौका देखना निर्णय में दर्शाया गया है जबकि उनके द्वारा कोई मौका नहीं देखा गया है तथा न हीं ऐसी कोई सूचना अपीलाण्ट को दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रेस्पोडेन्ट्स को रास्ता प्रदान करने का आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि जहां वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो, वहां सुविधाजनक मार्ग नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना, अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित किया है, जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

विधि विरूद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें तथा जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। धारा 251ए के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही करते हुए काश्तकारो को आवश्यक रूप से रास्ता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को न्याय आपके द्वार अभियान 2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प बरलुट में नियत किया गया, जिसमें अपीलाण्ट को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलाण्ट की उपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया, सम्पूर्ण कार्यवाही मजमें आम में हुई है, इससे अधिक पारदर्शितापूर्ण कार्यवाही हो ही नहीं सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट तलब की है, उसमें यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट्स की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा बरलुट तहसील सिरोही के खसरा नम्बर 489 रकबा 02.20 हैक्टेयर में आने जाने हेतु अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 05 के खातेदार की खसरा संख्या 490 में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली दिनांक 19.05.2018 को न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प बरलुट में नियत की गई, जिसकी सूचना अपीलाण्ट्स को दी गई तथा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाला कैम्प-सिरोही

जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। उक्त मौका/जांच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तैयार की गई मौका रिपोर्ट में धारा '251 ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के आज्ञापक प्रावधानों आत्यंतिक आवश्कता , वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुतम मार्ग के बिन्दुओ का कोई जांच तथ्य अंकित नही किए गए हैं। साथ ही प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर नहीं होना यह जाहिर करता है, कि मौका रिपोर्ट एकपक्षीय तैयार की गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलांटगण को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम–69 के अनुसार–

"69. Enquiry and disposal of application.- *On receipt of an application in form 1 The Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the inspector Land Records and invite objection from the affected person The sub divisional officer after affording an opportunity of being heard to the parties and after making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved may allow the application. The application shall be decided by the Sub divisional Officer within 90 days from the date of application .

इस प्रकार नियम 69 के अनुसार स्पष्ट है कि भू अभिलेख निरीक्षक या इससे उपर के अधिकारी द्वारा उभय पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली नियत दिनांक 19.05.2018 को कैम्प बरलुट में जैर अपील आदेश पारित किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार को बिना सुनवाई का तथा पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण राजस्व लोक अदालत कैम्प, बरलुट में दिनांक 19.05.2018 को किया गया है। उक्त प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत में बिना आपसी राजीनामे के निर्णय किया जा सकता है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise " and "settelment". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise " implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat " इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत कें तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। उपरोक्त कारणों से हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर सिरोही द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 152/2017 बउनवान कूपाराम बनाम कूपाराम में पारित आदेश दिनांक 19.05.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों को दृष्टिगत

राजस्व अधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

रखते हुए पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी केम्प-सिरोही

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही